

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 70 : Power to summon persons to give evidence and produce documents**

- (1) The proper officer under this Act shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
  - (2) Every such inquiry referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a “judicial proceedings” within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
-

**धारा 70 : व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति**

- (1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को वह किसी जांच में साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसी कि किसी सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उपबंधित है।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जाएगा।